निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 45 वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी** के माह 03/2015 से 10/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस.एस. दरियाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री मनोज कुमार सिंह, पर्यवेक्षक एवं श्री जितेन्द्र तमोली, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 06/11/2017 से 10/11/2017 तक श्री अनिल कुमार जैन वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री एस.एस. दरियाल सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, एवं श्री जयन्त प्रकाश, व.लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 07/03/2015 से 12/03/2015 तक श्री सुनील कल्ला, व.लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 02/2012 से 02/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः .....

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
							स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `	आधिक्य (+) □	बचत (-) □	आधिक्य (+) □	बचत (-) □
2014-15			127.27	122.87	3.04	3.04				
2015-16			159.81	159.81	6.50	6.50				
2016-17			197.01	189.95	24.45	24.32				

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
2014-15	केन्द्र पोषित योजनायें	-	22.53	21.673	0.8571
2015-16		-	245.98	201.452	44.528
2016-17		-	9.16	9.16	0

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **C** श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव

निदेशक

अतिरिक्त निदेशक

संयुक्त निदेशक

उपनिदेशक

मुख्य कृषि अधिकारी

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में लेनदेन की लेखापरीक्षा, **मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 02/2016 एवं 03/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना** का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन आवंटन एवं व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा **13,** लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो 'अ'

<u>प्रस्तर 1- अनियमित आहरित धनराशि ☐ 41.62 लाख की वसूली न किया जाना तथा संबंधित कर्मचारी/ अधिकारियों पर कोई कार्यवाही न किया जाना।</u>

मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी कार्यालय की लेखापरीक्षा के दौरान न्यायिक मामले/जांच से संबंधित पत्रावलियों की जांच में पाया कि कृषि एवं भूमि संरक्षण इकाई पाबौ जनपद पौड़ी में हुई वित्तीय अनियमितताओं की जांच निदेशालय स्तर से गठित समिति के द्वारा कराई गई थी। जिसमें जुलाई 2010 से सितम्बर 2015 तक चैक से (☐ 1680994 + 2386963 + 94094) कुल ☐ 41,62,051.00 आहरण तत्कालीन कैशियर के नाम से किया गया था. जिसकी प्रविष्टि कैश बुक में नहीं की गई थी, अर्थात शासकीय धन का गबन किया गया था। इस संबंध में जांच समिति के द्वारा जांचोपरान्त दिनांक 02 मार्च, 2016 को जांच प्रतिवेदन कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड को प्रस्तुत की गई, तत्पश्चात निदेशालय पत्रांक 8882, 8883 एवं 8884/लेखा/जांच/शिका.-कृ.भू.सं.अ.पाबौ/2015-16/ दिनांक 19/03/2016 द्वारा तत्कालीन कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारियों को स्पष्टीकरण हेतु लिखा गया था, लेकिन 19 माह से अधिक समय के पश्चात भी प्रश्नगत अनियमित आहरित धनराशियों की वसूली नहीं की गई है। जिले की कृषि विभाग का नियंत्रण कार्यालय होने के कारण नियंत्रणाधीन कार्यालयों की आवधिक निरीक्षण किया जाना अपेक्षित था। अगर मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय द्वारा आवधिक निरीक्षण किया जाता तो जुलाई, 2010 से सितम्बर 2015 तक की अवधि में की गई गबन को रोका जा सकता था और प्रश्नगत धनराशियां योजनानुसार व्यय कर किसानों को लाभान्वित किया जाता। मुख्य कृषि अधिकारी एवं कार्यालय के द्वारा इकाईयों की आवधिक निरीक्षण किए जाने का कोई साक्ष्य अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था, इसे इंगित करने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि "***भविष्य में इस कार्यालय द्वारा आवधिक निरीक्षण किया जाएगा***"। विभाग के उत्तर से स्पष्ट है कि मुख्य कृषि अधिकारी, कार्यालय द्वारा नियंत्रणांधीन कार्यालयों की कोई आवधिक निरीक्षण नहीं किया गया है। आगे प्रश्नगत अनियमित आहरित धनराशियों की वसूली के संबंध में पूछे जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि "***निदेशालय स्तर पर कार्यवाही जारी है***" विभाग के उत्तर से स्पष्ट है कि संबंधित के विरूद्ध आतिथि तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जबकि जांच समिति के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनानुसार धनराशियां अनियमित आहरित किया जाना साबित हो चुकी है। अतः अनियमित आहरित धनराशि ☐ 41,62,051.00 की वसूली न किया जाना तथा संबंधित कर्मचारी/ अधिकारियों पर कोई कार्यवाही न किए जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

-शून्य-

भाग-III

(इस भाग में विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्न प्रारूप में अंकित किया जाय)
विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या**
	-	1
116/2008-09	-	2
63/2009-10	-	1
66/2011-12	-	1
108/2014-15		

अन्य 2002-03 से पूर्व के प्रस्तर हैं।
विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
116/2008-09 63/2009-10 66/2011-12 108/2014-15	भाग-II 'ब' प्रस्तर- 01 भाग-II 'ब' प्रस्तर- 02 भाग-II 'ब' प्रस्तर-01 भाग-II 'ब' प्रस्तर-01		विभागीय उत्तर में बताया गया कि उक्त तीनों प्रतिवेदनों के प्रस्तर उनके कार्यालय में उपलब्ध नहीं है अतः उपलब्ध कराये जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी अतः सभी प्रस्तर यथावत रखे जा सकते है।। महालेखाकार कार्यालय द्वारा उक्त प्रस्तर निरस्त कर दिया गया है अतः प्रस्तर निरस्त किया जा सकता है।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-शून्य-

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

   (i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

   (i) बिना धनराशि उपलब्धता सुनिश्चित किये ही रसायन/संसाधनों की खरीद केन्द्र पोषित योजनाओं का वित्तीय वर्ष में ही व्यय न किया जाना।

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	
(i)	डा. देवेन्द्र सिंह	मुख्य कृषि अधिकारी	दिनांक 01/10/2014 से आतिथि तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (आर्थिक क्षेत्र-2) कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
आर्थिक क्षेत्र-2